अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर
34/16

**न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

**अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार , समेजा कोठी दिनांक 29.01.2016 धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम**

**अपील प्रकरण सं0 34/2016**

1 सुरजाराम पुत्र पीराराम जाति मेधवाल निवासी खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

**अपीलांट**

बनाम

1. नायब तहसीलदार (राजस्व) समेजा कोठी
2. परमेश्वरीदेवी पुत्री पीराराम जाति मेधवाल निवासी लखासर जिला श्रीगंगानगर
3. बिमला देवी पुत्री सुलतान पुत्र पीराराम पत्नि जगदीश राम जाति मेधवाल निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर हाल 15 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. ओमप्रकाश पुत्र सुलतान जाति मेधवाल निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. कमला पुत्री सुलतान राम पत्नि अमीचन्द जाति मेधवाल निवासी खांटा हाल पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. दलीप पुत्र सुलतान राम जाति मेधवाल निवासी खांटा तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. राजवन्ती पुत्री सुलतान राम पत्नि रामस्वरूप जाति मेधवाल निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर हाल बालाराजपुरा तहसील पदमपुर

**रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित :

1. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस संख्या–3

**आदेश** **दिनांक : 08.08.2017**

हस्तगत अपील के तथ्य संक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता पीराराम पुत्र जीवनराम के नाम से चक 33 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 54 प.न. 262/299 के 3.163 हैक्टर तथा मु.न. 55 हाल 76 के किला नम्बर 1 ता 13 के 3.137 हैक्टर दर्ज थी। पीराराम ने अपने जीवन काल में मुरब्बा नम्बर 76/55 की वसीयत

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 34/16



दिनांक 29.04.1992 को की जबकि मु.न. 54 के 3.163 हैक्टर की कभी कोई वसीयत नहीं की गई। पीराराम के देहान्त के बाद मु.न. 76/55 की वसीयत ही सुल्तान जिसके हक में वसीयत की, के नाम से इन्तकाल किया जा सकता था। मुरब्बा नम्बर 54 की कोई वसीयत नहीं की। अतः इसका इन्तकाल नहीं किया जा सकता था। तथा इसका इन्तकाल नम्बर 35 नायब तहसीलदार समेजा ने कर दिया गया मगर मु.न. 54 के 3.163 का इन्तकाल नम्बर 8 करते समय गलत तरीके से इस को भी सुल्तान के नाम से वसीयत दिनांक 29.04.1992 के आधार पर दर्ज कर दिया गया जबकि मु.न.54 की वसीयत कभी सुल्तान के हक में नहीं की गई। अतः मु.न. 54 का इन्तकाल विरास्त पीराराम के समस्त वारिसान के नाम से करना चाहिए था, बाद में विवाद पैदा होने व इन्तकाल नम्बर 08 का अनुचित लाभ उठाने की कौशिश करने पर विवाद पैदा होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश होने पर इन्तकाल अस्वीकृत करने का आदेश देने पर मामला उपजिलाधीश रायसिंहनगर के चला तथा मामला पंचायत के स्थान पर उप तहसीलदार समेजा कोठी को रिमाण्ड किया गया तथा प्रकरण संख्या 47/2015 दर्ज करके इसका निर्णय करते समय भी मु.न. 54 का इन्तकाल मृतक सुलतान के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इसके खिलाफ यह अपील यानि इन्तकाल नम्बर 08 जो गलत तौर से विरास्तन के स्थान पर वसीयत के आधार पर दर्ज हो गया तथा यह आदेश जैर अपील में मर्ज होने से इस इन्तकाल व आदेश दिनांक 29.01.2016 के खिलाफ यह अपील पेश की गईः—

यह अपील उपतहसीलदार समेजाकोठी के आदेश दिनांक 29.01.2016 तथा इन्तकाल नम्बर 08 जो कि मु.न. 54 के 3.163 का इन्तकाल वसीयतनामा दिनांक 29.04.1992 के आधार पर किया गया व आदेश जैर अपील में मर्ज हो गया के विरूद्व पेश की गई। पीराराम पुत्र जीवन के नाम मु.न. 76/55 में 3.137 हैक्टर भूमि थी जिसको उसने स्वयं अर्जित होने का कथन करके केवल एक ही वसीयत दिनांक 29.04.1992 को की, जिसकी नकल शामिल है। इसमें मुरब्बा नम्बर 54 का कथन नही किया गया जबकि मु.न. 54 का पत्थर नम्बर 262/299 है तथा मु.न. 76/55 का प.न. 263/300 है अतः यह स्पष्ट है कि दो अलग—अलग 2 मुरब्बे है तथा केवल एक रकबा मु.न. 76/55 की ही वसीयत पीराराम ने दिनांक 29.04.1992 को की थी ना कि मु.न. 54 पं. न. 262/299 की की थी अतः इन्तकाल नम्बर 08 गलत यकतरफा चुपचाप ही 76/55 की वसीयत के स्थान पर मु.न. 54 पं.न. 262/299

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 14/16

A10
3

दर्ज कर के सुलतान के नाम से इन्तकाल कर दिया गया तथा इसकी जानकारी ना होने से चुनौती नही दी जा सकी तथा अब इसका अनुचित लाभ उठा कर रेस्पोडेन्ट सख्या 03 ता 07 इस रकबा को हडपना चाहते है इस कारण विवाद पैदा होने पर ही मामला ग्राम पंचायत के गया अस्वीकार किया गया व उपजिलाधीश के गया रिमाण्ड कियागया व अदालत मातहत ने भी सही तथ्यों को समझे बिना आदेश पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 03–04 ने अपनी लिखित बहस में यह स्पष्ट कथन किया है कि मु.न. 76/55 का इन्तकाल नम्बकर 35 पहले से ही उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार से अब मामला मु.न. 54 के विवाद का था तथा मु. न. 54 का इन्तकाल नम्बर 08 गलत किया गया क्योंकि मु.न. 54 की पीराराम ने कभी वसीयत नही की बल्कि उसने मु.न. 76/55 की ही वसीयत की थी। अतः मु.न. 54 का गलत इन्तकाल उसी वसीयत 29.04.1992 के आधार पर हो जाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 किसी प्रकार से अनुचित लाभ नही उठा सकती। अतः मु.न. 54 की 3.163 का इन्तकाल विरास्त इन्तकाल अपीलान्ट , सुलतान व रेस्पोडेन्ट संखया 02 जो कि पीराराम की पुत्री है अतः तीनो वारिसान के नाम से बहिस्सा बराबर करना आवश्यक था इस प्रकार से इन्तकाल नम्बर 08 में वसीयत का कथन गलत किया गया है। मु.न. 54 की जब कोई वसीयत नहीं की गई तो इन्तकाल के खाना नम्बर 14 में वसीयत का इन्द्राज करना ही गलत हो जाता है तथा इस प्रकार से विरास्त इन्तकाल का मामला होते हुए वसीयत का लिखकर गलत इन्तकाल कर दिया गया है तथा सुलतान के मु.न. 54 के गलत इन्तकाल का रेस्पोडेन्ट 03 ता 07 अनुचित लाभ उठाना चाहते है जो कि कतई गलत है तथा नही दिया जा सकता है।

अदालत मातहत ने बिना इन्तकाल नियमो की पालना किए बिना लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशत्मतक प्रावधानो की पालना किए ही आदेश पारित किया गया है ना तो कब्जा की जांच करवाई कब्जा मु.न. 54 पर अपीलान्ट का चला आ रहा है तथ इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 के नाम से कानून नही किया जा सकता क्योंकि कब्जा के अभाव में इन्तकाल नही किया जा सकता था।

अपीलान्ट के पिता पीराराम ने अपने जीवनकाल में यह कहा था कि उसने मु.न. 54 की वसीयत अपीलान्ट के हक में की है इसी कारण से उसने अपने प्रार्थना पत्र में वसीयत उसके नाम से होने का कथन किया मगर यह मिल नही पाई तलाश की जा रही है। इस प्रकार से अगर कोई वसीयत नही मिलती तो विरासत इन्तकाल

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 24/18

A70
5

पीराराम के समस्त वारिसान के नाम से किया जा सकता है। इन्तकाल के खाना नम्बर 07 में रकबा पीराराम के नाम से दर्ज है तथा पीराराम ने मु.न. 54 की वसीयत कभी सुलतान के हक में नही की ना ही कोई वसीयत पेश हुई है जिस वसीयत 29.04.1992 का कथन किया है कि नकल शामिल है यह मु.न. 76/55 की है ना कि मुरब्बा नम्बर 54 की अतः मु.न. 54 का इन्तकाल किसी प्रकार से रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 के नाम से नही किया जा सकता था अतः आदेश जेर अपील गलत होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है।

आदेश पारित करने से पूर्व कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया नही अपनाई ना मजमे आम में जांच की ना ही आपति सूचना प्रकाशित करवाई ना ही अपातिया मांगी ना ही मृतक पीराराम के सभी वारिसान को बुलाया ना ही सुना गया है अतः इन्तकाल करने का आदेश स्पष्ट ही गलत होने से निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में कही रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस के बारे में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करके विवेचन कर फाइडिंग दी है।

अपीलान्ट के वकील ने यही कहा था कि हर पेशी पर आने की जरूरत नही है पत्र आने पर आना होगा कोई पत्र नही मिला इसी बीच में 27.04.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कहा कि फैसला हमारे हक में हो गया है हम रकबा का कब्जा लेगी मुन्तकिल करेगें इस पर दिनांक 28.04.2016 को जाकर पता किया तो आदेश जेर अपील का पता चलने पर उसी रोज नकल की दरखास्त देकर नकल हासिल कर यह अपील बिना किसी देरी के इल्म से अन्दर मियाद पेश की जा रही है जानबूझकरदेरी नही की है। दरखास्त दफा 5 एक्ट मियाद ह0 पेश है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील 29.01.2016 व इन्तकाल नम्बर 08 को जो इस आदेश में मर्ज हो गया निरस्त करने का व साक्ष्य लेकर निर्णय करने आदेश फरमाया जावें।

मामला प्राथमिक आपत्तियों के मध्यनजर ही सुना गया। इसमें मुख्यतः श्रवणाधिकार का आक्षेप निहित होने से इस पर विचाराण किया । दोनो पक्षो के सुयोग्य अधिभाषक गण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

**अपीलांट के अधिवक्ता** ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि मुरब्बा नम्बर 54 की वसीयत कभी भी पीराराम ने सुल्तान के हक में नही की है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। वसीयत मु.न. 76/55 सुल्तान के हक में की हुई है तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 8 में गलत तौर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 34/16

AJO
5

से दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 07 अनुचित लाभ उठाना चाहते है व कब्जा को मुन्तकिल करने की कौशिश में है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

**रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता** ने अपनी बहस में कहा है कि नायब तहसीलदार (राजस्व) समेजा कोठी के पास नामान्तरण विवादित था और उन्होने यह आदेश धारा 135(2) एलआरएक्ट के तहत पारित किया जिसकी अपील सुनने का क्षैत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त बीकानेर को है। इसलिए यह अपील सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायलय को नहीं है। यह सिद्वान्त आरआरडी 2003 पेज नम्बर 68 , आर आर डी 2002 पेज नम्बर 671 में माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह अपील बार्ड बाई ला है। जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश धारा 135(2) के अन्तर्गत पारित किया गया। इस सम्बन्ध में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को है। इसलिए अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार (भू.अ.) समेजा कोठी के निर्णय दिनांक 29.01.2016 से स्पष्ट है कि उनके समक्ष यह मामला जब विचारण में था तब मृतक पीराराम पुत्र जीवनराम का वसीयतनामा दिनांक 29.04.1992 भी उनके समक्ष अभिलेख पर था। उक्त वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक पीराराम के द्वारा मु.न. 54 पं.न. 262/299 की 3.163 हैक्टर कृषि भूमि का उक्त वसीयतनामा में कही कोई अंकन नही है । मु.न.54 की वसीयत कभी सुलतान के हक में नही की गई। अतः मु.न. 54 का इन्तकाल विरास्त पीराराम के समस्त वारिसान के नाम से करना चाहिए था, बाद में विवाद पैदा होने व इन्तकाल नम्बर 08 का अनुचित लाभ उठाने की कौशिश करने पर विवाद पैदा होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति पेश होने पर इन्तकाल अस्वीकृत करने का आदेश देने पर मामला उपजिलाधीश रायसिंहनगर के चला तथा मामला पंचायत के स्थान पर उप तहसीलदार समेजा कोठी को रिमाण्ड किया गया तथा प्रकरण संख्या 47/2015 दर्ज करके इसका निर्णय करते समय भी मु.न. 54 का इन्तकाल मृतक सुलतान के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ता 07 के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया । उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण विवादित होकर ग्रांम पंचायत द्वारा अस्वीकार होकर उपजिलाधीश रायसिंहनगर के द्वारा रिमाण्ड किया जकार

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर 34/18

A70
6

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने पर पारित नायब तहसीलदार समेजा कोठी का आदेश दिनांक 29.01.2016 विवादग्रस्त था एवं है। विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मृतक पीराराम के वसीयत इन्तकाल आदेश 29.01.2016 अविवादित नही होने से धारा 135(2) इसके संबंध में प्रस्तुत अपील के श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील लौटाई जाती है। तदनुसार मामला निस्तारित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08–08–2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/17

(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।